**बजट 2024-25**

वित्त मंत्री

**निर्मला सीतारामन**

**का भाषण**

**23 जुलाई, 2024**

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ।

**प्रस्तावना**

**1.** भारत के लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनके नेतृत्व वाली इस सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है। हमारी नीतियों के प्रति उनके समर्थन, आस्था और विश्वास के लिए हम आभारी हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प हैं कि सभी धर्म, जाति, लिंग और आयु के भारतीय अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति करें।

**वैश्विक संदर्भ**

**2.** हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर निष्पादन कर रही है, तथापि यह अभी भी नीतिगत अनिश्चितताओं से प्रभावित है। उच्च आस्ति मूल्य, राजनीतिक अनिश्चितताएं और पोत परिवहन में अव्यवस्थाएं विकास को विपरित रूप से प्रभावित कर रही हैं और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ा रही हैं।

**3.** इस संदर्भ में, भारत का आर्थिक विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भारत इसी प्रकार प्रगति की राह पर अग्रसर रहेगा। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर है तथा यह 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वर्तमान में स्थायी मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-इंधन) 3.1 प्रतिशत है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द खराब होने वाले सामानों की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति हो।

**अंतरिम बजट**

**4.** जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था, हमें 4 मुख्य समूहों नामतः ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता के लिए हमने एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वायदा पूरा किया। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा।

**5.** अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न स्कीमों के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाधीन है। अपेक्षित आबंटन कर दिए गए हैं।

**बजट का मुख्य विषय**

**6.** पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है। मैं इस विषय पर थोड़ी देर में और जानकारी दूंगी, जबकि इसका और अधिक ब्यौरा अनुलग्नक में देखा जा सकता है। इस वर्ष, मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है।

**बजट प्राथमिकताएं**

**7.** लोगों ने हमारी सरकार को देश को सुदृढ़ विकास और चहुँमुखी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर दिया है। अंतरिम बजट में, हमने *‘विकसित भारत’* के हमारे लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का वादा किया था। अंतरिम बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है।

1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता
2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण
3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. अवसंरचना
8. नवाचार, अनुसंधान और विकास, और
9. अगली पीढ़ी के सुधार

**8.** आगामी बजटों को इनके आधार पर तैयार किया जाएगा और नई प्राथमिकताओँ एवं कार्यों को शामिल किया जाएगा। ‘आर्थिक नीति फ्रेमवर्क’ के भाग के रूप में एक अधिक विस्तृत व्यवस्था बनाई जाएगी जिसके बारे में मैं इस भाषण में आगे चर्चा करूंगी।

**9.** इस बजट में परिवर्तनकारी बदलावों की संभावनाओं के साथ इन प्राथमिकताओं को पूरा करने की दिशा में इस वर्ष शुरू किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा दिया गया है। इस बजट में कुछ पिछली घोषणाओं को भी इस उद्देश्य से शामिल किया गया है कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में हमारी यात्रा की गति में तेजी लाने के लिए उन घोषणाओं को और मजबूती प्रदान की जाए तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लायी जाए।

***प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता***

**परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान**

**10.** हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अऩुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। इसे चुनौती के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल होगा। सरकार और सरकार से बाहर दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ ऐसे अनुसंधान का पर्यवेक्षण करेंगे।

**नई किस्मों को शुरू करना**

**11.** किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।

**प्राकृतिक कृषि**

**12.** अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी जिसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

**दलहन और तिलहन मिशन**

**13.** दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाएंगे। जैसा कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए *‘आत्मनिर्भरता’* प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाई जा रही है।

**सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला**

**14.** प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नजदीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। हम उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देंगे।

**कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना**

**15.** प्रायोगिक परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर, हमारी सरकार, 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू करने में सहायता करेगी। इस वर्ष, डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरे को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराए जाएंगे।

**झींगा उत्पादन और निर्यात**

**16.** झींगा ब्रूड-स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

**राष्ट्रीय सहकारिता नीति**

**17.** हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुँमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। इस नीति का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा।

**18.** इस वर्ष, मैंने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।

***प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण***

**रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन**

**19.** हमारी सरकार प्रधान मंत्री पैकेज के भाग के रूप में ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। ये ईपीएफओ (EPFO) में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिह्नित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होंगे।

**योजना क: पहली बार रोजगार पाने वाले**

**20.** इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम ` 15,000 होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा ` 1 लाख का मासिक वेतन होगा। इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है।

**योजना खः विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन**

**21.** इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो पहली बार रोजगार पाने वालों के रोजगार से जुड़ा है। सीधे कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को विनिर्दिष्ट पैमाने पर रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है।

**योजना गः नियोक्ताओं को सहायता**

**22.** नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्षों तक ` 3,000 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

**कामगारों में महिलाओं की भागीदारी**

**23.** हम उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएंगे। इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

**कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम**

**24.** मुझे प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार की जाएंगी और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

**कौशल प्रशिक्षण ऋण**

**25.** सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ ` 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है।

**शिक्षा ऋण**

**26.** सरकार की योजनाओं और नीतियों के अधीन किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले हमारे युवाओं की सहायता करने के लिए, मैं घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए ` 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा कर रही हूँ। इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।

***प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय***

**परिपूर्णता दृष्टिकोण**

**27.** हमारी सरकार लोगों, विशेषकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के चहुँमुखी, सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र रूप से सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को शामिल करने के लिए परिपूर्णता दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार करके उनका सशक्तीकरण किया जा सके।

**28.** शिल्पकारों, कारीगरों, स्व-सहायता समूहों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेडरों के आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री विश्वकर्मा, प्रधान मंत्री स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशनों और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाएगी।

**पूर्वोदय**

**29.** देश के पूर्वी भाग के राज्य प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं और इन राज्यों की सांस्कृतिक परम्पराएं सुदृढ़ हैं। हम बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए *पूर्वोदय* नामक योजना तैयार करेंगे। इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया जाएगा, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए।

**30.** अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में, हम गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान करेंगे। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गया का यह औद्योगिक केन्द्र सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हमारे प्राचीन केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए एक अच्छा मॉडल भी बनेगा। इस मॉडल से हमारी विकास यात्रा में *“विकास भी विरासत भी”* प्रतिबिम्बित होगा।

**31.** हम ` 26,000 करोड़ की लागत से (1) पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, (2) बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, (3) बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और (4) बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने के लिए भी सहायता देंगे। ` 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए विद्युत संयंत्र की स्थापना करना भी शामिल है। बिहार में नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद अवसंरचना का निर्माण भी किया जाएगा।

**32.** पूंजीगत निवेशों में सहायता करने के लिए एक अतिरिक्त आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।

**आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम**

**33.** हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में ` 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी।

**34.** हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना, जो आंध्र प्रदेश और यहां के किसानों की जीवन-रेखा है, का वित्तपोषण करके इसे जल्दी पूरा करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी।

**35.** इस अधिनियम के अंतर्गत, औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, विशाखापत्तनम–चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद–बेंगलुरू औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश हेतु इस वर्ष एक अतिरिक्त आबंटन प्रदान किया जाएगा।

**36.** इस अधिनियम में यथा उल्लिखित रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाएंगे।

**पीएम आवास योजना**

**37.** प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आबंटन किए जा रहे हैं।

**महिला-संचालित विकास**

**38.** महिला-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं हेतु ` 3 लाख करोड़ से अधिक के आबंटन की व्यवस्था की गई है। यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है।

**प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान**

**39.** जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, हम जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करेंगे। इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं**

**40.** बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।

**41.** इस वर्ष, मैंने ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए ` 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान रखा है।

***प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएं***

**एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सहायता**

**42.** इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम-प्रधान विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने एक पैकेज बनाया है जिसमें एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल किया गया है ताकि उन्हें फलने-फूलने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिल सके, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया था। मुझे निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

**विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना**

**43.** सम्पार्श्विक अथवा तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए एक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों की पूलिंग के आधार पर संचालित होगी। प्रत्येक आवेदक को ` 100 करोड़ तक का गारंटी कवर देने के लिए एक पृथक स्व-वित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। ऋण लेने वाले को एक तत्काल गारंटी शुल्क और घटती ऋण शेष-राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा।

**एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल**

**44.** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण के लिए एमएसएमई के आकलन हेतु बाहरी आकलन के भरोसे रहने की बजाए अपनी इन-हाउस क्षमता का निर्माण करेंगे। वे एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंटों के अंकों के आधार पर एक नया ऋण आकलन मॉडल विकसित करने अथवा विकसित करवाने में अग्रणी भूमिका भी निभाएंगे। इससे केवल परिसंपत्ति अथवा कारोबार मानदण्डों पर आधारित ऋण पात्रता के पारंपरिक आकलन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार आने की आशा है। इसमें बिना किसी औपचारिक लेखांकन प्रणाली वाले एमएसएमई भी कवर होंगे।

**संकट की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता**

**45.** मुझे एमएसएमई को उनके संकट की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते ‘स्पेशल मेंशन अकाउन्ट’ (एसएमए) स्तर में होने पर एमएसएमई को अपना व्यवसाय जारी रखने और एनपीए स्तर में जाने से बचने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। सरकार संवर्धित निधि से गारंटी द्वारा ऋण उपलब्धता में सहायता की जाएगी।

**मुद्रा ऋण**

**46.** मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा ` 10 लाख से बढ़ाकर ` 20 लाख कर दिया जाएगा जिन्होंने ‘तरुण’ श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया है और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।

**ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना**

**47.** एमएसएमई को उनकी व्यापार प्राप्तियों को नगद के रूप में बदलकर उनकी कार्य पूंजी को अनलॉक करने की सुविधा देने के लिए, मैं खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को ` 500 करोड़ से घटाकर ` 250 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह उपाय 22 और सीपीएसई तथा 7000 और कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म पर ले आएगा। मध्यम उद्यमों को भी आपूर्तिकर्ता के दायरे में शामिल किया जाएगा।

**एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी की शाखाएं**

**48.** सिडबी 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवाएं देने हेतु अपनी पैठ बढ़ाने के लिए नई शाखाएं खोलेगी और उन्हें सीधे ऋण देगी। इस वर्ष ऐसी 24 शाखाएं खोले जाने के साथ ही सेवा कवरेज का विस्तार 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 क्लस्टरों तक हो जाएगा।

**फूड इरेडिएशन, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयां**

**49.** एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

**ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र**

**50.** एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, ये केंद्र एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे।

**विनिर्माण और सेवाओं के संवर्धन के उपाय**

**शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप**

**51.** प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में, हमारी सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरूआत करेगी। उन्हें रियल-लाइफ व्यवसाय वातावरण, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों के लिए 12 महीनों का अनुभव मिलेगा। इस योजना में ` 5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता और ` 6,000 की एकबारगी सहायता दी जाएगी। कंपनियों से प्रशिक्षण लागत और इंटर्नशिप लागत का 10 प्रतिशत अपनी सीएसआर निधियों से वहन करने की अपेक्षा की जाएगी।

**औद्योगिक पार्क**

**52.** हमारी सरकार नगर आयोजना से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग करके राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में या उसके आस-पास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में सहायता करेगी।

**53.** राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।

**किराए का आवास**

**54.** औद्योगिक कामगारों के लिए वीजीएफ सहायता और एंकर उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा प्रदान की जाएगी।

**पोत-परिवहन उद्योग**

**55.** भारतीय पोत-परिवहनउद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजित करने के लिए स्वामित्व, पट्टे और फ्लैगिंग सुधारों को लागू किया जाएगा।

**महत्वपूर्ण खनिज मिशन**

**56.** हम महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करेंगे। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक दायित्व फ्रेमवर्क, तथा उपयुक्त वित्तीय तंत्र शामिल होंगे।

**खनिजों का अपतटीय खनन**

**57.** हमारी सरकार पहले से किये गए खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू करेगी।

**डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग**

**58.** सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए, मैं निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादकता लाभों, व्यवसाय अवसरों तथा नवाचार के लिए आबादी के पैमाने पर डीपीआई अनुप्रयोग विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इनकी योजना ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और न्याय, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, सेवा सुपुर्दगी और शहरी अभिशासन के क्षेत्रों में बनाई गई है।

**आईबीसी इको-सिस्टम के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म**

**59.** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत परिणामों को बेहतर बनाने तथा निरंतरता, पारदर्शिता, समयोचित प्रसंस्करण तथा बेहतर पर्यवेक्षण हेतु सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।

**एलएलपी का स्वैच्छिक क्लोजर**

**60.** एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) की सेवाएं प्रदान की जाएंगी ताकि क्लोजर के समय को कम किया जा सके।

**राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण**

**61.** आईबीसी ने 1000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाताओं को ` 3.3 लाख करोड़ से अधिक की प्रत्यक्ष वसूली हुई है। इसके अलावा, ` 10 लाख करोड़ से अधिक वाले 28,000 मामलों को स्वीकार होने से पहले ही निपटा दिया गया है।

**62.** दिवाला समाधान में तेजी लाने के लिए आईबीसी में उपयुक्त बदलाव, अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों में सुधार किए जाएंगे और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। उनमें से कुछ अधिकरणों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से मामलों का निर्णय करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

**ऋण वसूली**

**63.** ऋण वसूली अधिकरणों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे। वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना की जाएगी।

***प्राथमिकता 5: शहरी विकास***

**विकास केंद्रों के रूप में शहर**

**64.** राज्यों के साथ मिलकर, हमारी सरकार “विकास केंद्रों के रूप में शहरों” को विकसित करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगर आयोजना स्कीमों का उपयोग करके शहरों के आस-पास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा।

**शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास**

**65.** परिवर्तनकारी प्रभाव के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुनर्विकास के लिए, हमारी सरकार समर्थकारी नीतियों, बाजार आधारित तंत्र तथा विनियमन हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी।

**आवागमन उन्मुखी विकास**

**66.** 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।

**शहरी आवास**

**67.** प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत, ` 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में ` 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। किफायती दरों पर ऋण सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के एक प्रावधान की परिकल्पना भी की गई है।

**68.** इसके अलावा, अधिक उपलब्धता के साथ दक्ष और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए समर्थकारी नीतियां तथा विनियम भी बनाए जाएंगे।

**जल आपूर्ति और स्वच्छता**

**69.** राज्य सरकारों तथा बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में हम भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे। इन परियोजनाओं में उपचारित जल का प्रयोग सिंचाई तथा आस-पास के क्षेत्रों में तालाबों को भरने के लिए भी परिकल्पना की जाएगी।

**स्ट्रीट मार्केट**

**70.** स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन परिवर्तन में पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर, हमारी सरकार ने अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक योजना की परिकल्पना की है।

**स्टाम्प शुल्क**

**71.** हम, सभी के लिए दरों को कम करने तथा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्कों को और कम करने पर भी विचार करने हेतु उन राज्यों को प्रोत्साहित करेंगे जिन्होंने अधिक स्टाम्प शुल्क लगाना जारी रखा है। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का अनिवार्य घटक बनाया जाएगा।

***प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा***

**ऊर्जा परिवर्तन**

**72.** अंतरिम बजट में, मैंने उपलब्धता, पहुंच तथा किफायत के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ उच्च तथा अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए हमारी रणनीति की घोषणा की थी। हम समुचित ऊर्जा परिवर्तन पथ के संबंध में एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करेंगे जो रोजगार, विकास और पर्यावरण स्थायित्व की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम करेगा।

**पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना**

**73.** अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप, एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना पर लोगों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है जिसके अंतर्गत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए हैं और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा हम इसे आगे और प्रोत्साहित करेंगे।

**पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी**

**74.** विद्युत भंडारण तथा समग्र ऊर्जा मिश्रण में इसकी परिवर्तनशील और विरामी प्रकृति के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति लाई जाएगी।

**छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास**

**75.** परमाणु ऊर्जा विकसित भारत के लिए ऊर्जा मिश्रण का अति महत्वपूर्ण हिस्सा होने की संभावना है। इस संबंध में, हमारी सरकार (1) भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, (2) भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा (3) परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। अंतरिम बजट में घोषित अनुसंधान और विकास वित्तपोषण इस क्षेत्र को उपलब्ध कराया जाएगा।

**उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट**

**76.** अत्यंत बेहतर कार्य क्षमता वालेउन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य पूरा हो गया है। एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम एयूएससी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। सरकार अपेक्षित राजकोषीय सहायता उपलब्ध कराएगी। आगे चलकर, इन संयंत्रों के लिए उच्च श्रेणी वाले इस्पात तथा अन्य उन्नत धातु सामग्री के उत्पादन हेतु स्वदेशी क्षमता के विकास से अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।

**‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों के लिए रोडमैप**

**77.** ‘हार्ड टू एबेट’ उद्योगों को ‘ऊर्जा दक्षता’ के लक्ष्य से ‘उत्सर्जन लक्ष्य’ की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के ‘परफॉर्म एचीव एंड ट्रेड’ पद्धति से ‘इंडियन कार्बन मार्केट’ पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे।

**पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को सहायता**

**78.** तांबा और सेरामिक क्लस्टर की 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश-ग्रेड ऊर्जा लेखा-परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने और ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को अगले चरण में 100 अन्य क्लस्टरों में दोहराया जाएगा।

***प्राथमिकताः 7 अवसंरचना***

**केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना निवेश**

**79.** केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष, मैंने पूंजीगत व्यय के लिए ` 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया है। यह हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।

**राज्य सरकारों द्वारा अवसंरचना निवेश**

**80.** हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन आबंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी ` 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है।

**अवसंरचना में निजी निवेश**

**81.** वीजीएफ तथा समर्थकारी नीतियों और विनियमनों के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बाजार आधारित वित्तपोषण फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।

**प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)**

**82.** जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पीएमजीएसवाई के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा।

**सिंचाई और बाढ़ उपशमन**

**83.** बिहार ने अक्सर बाढ़ को झेला है, उनमें से बहुतों की उत्पत्ति देश से बाहर होती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति होनी बाकी है। हमारी सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के माध्यम से, ` 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत से कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और बैराजों, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं सहित 20 अन्य चालू और नई स्कीमों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, कोसी से संबंधित बाढ़ उपशमन और सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण भी किया जाएगा।

**84.** असम प्रतिवर्ष भारत के बाहर उद्गम होने वाली ब्रहमपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है। हम असम को बाढ़ प्रबंधन और उससे संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेंगे।

**85.** हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष बाढ़ के कारण व्यापक हानि हुई है। हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी।

**86.** उत्तराखंड में भी बादल फटने और व्यापक भूस्खलन के कारण हानि हुई है। हम राज्य को सहायता उपलब्ध कराएंगे।

**87.** हाल ही में सिक्किम में विनाशकारी तीव्र बाढ़ और भूस्खलन हुआ जिससे पूरे राज्य में व्यापक विनाश हुआ है। हमारी सरकार राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगी।

**पर्यटन**

**88.** पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयास रोजगार सृजन, निवेश को प्रेरित करेंगे और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खोलेंगे। अंतरिम बजट में उल्लिखित उपायों के अलावा, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करती हूँ।

**89.** बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है। उनको विश्वस्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने के लिए सफल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल के अनुरूप विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

**90.** राजगीर का हिन्दुओं, बौद्धों और जैनों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। जैन मंदिर परिसर में 20वें तीर्थंकर मुनिसुव्रत का मंदिर प्राचीन है। सप्तऋषि या सात गर्म जलधाराएं मिलकर एक गर्म जल ब्रह्मकुंड बनाते हैं जो पवित्र है। राजगीर के लिए एक समग्र विकास पहल शुरू की जाएगी।

**91.** हमारी सरकार नालंदा विश्वविद्यालय का इसकी गौरवपूर्ण महत्ता के अनुरूप पुनरूत्थान करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी।

**92.** ओडिशा का दर्शनीय सौंदर्य, मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट इसे एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। हमारी सरकार उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी।

***प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास***

**93.** हम मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरूआत करेंगे। इसके अलावा, हम अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप ` 1 लाख करोड़ के वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था स्थापित करेंगे।

**अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था**

**94.** अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए ` 1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी।

***प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार***

**आर्थिक नीति फ्रेमवर्क**

**95.** हम आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएंगे और रोजगार के अवसरों तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेंगे।

**96.** हमारी सरकार (1) उत्पादन कारकों की उत्पादकता में सुधार, और (2) बाजारों और क्षेत्रों को अधिक कुशल बनाने हेतु सुधार शुरू करेगी और उसे प्रोत्साहित करेगी। इन सुधारों में उत्पादन के सभी कारकों, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता तथा सकल कारक उत्पादकता में सुधार और असमानता को कम करने में सहायक के रूप में प्रौद्योगिकी शामिल होंगे।

**97.** इनमें से कई सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा आम सहमति बनाना आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। प्रतिस्पर्धी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा देने तथा सुधारों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं 50 वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चिह्नित करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम राज्यों के साथ काम करते हुए, निम्नलिखित सुधार शुरू करेंगे।

**राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार**

**98.** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधारों और कार्यों में (1) भूमि प्रशासन, आयोजना और प्रबंधन, तथा (2) शहरी आयोजना, उपयोग और निर्माण उप-विधि शामिल होंगे। उपयुक्त राजकोषीय सहायता के माध्यम से अगले तीन वर्षों के भीतर इन सुधारों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

**ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य**

**99.** ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे (1) सभी भू-खण्डों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार निर्धारित करना, (2) संवर्गीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, (3) वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-प्रभागों का सर्वेक्षण, (4) भू-रजिस्ट्री की स्थापना, और (5) कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना। इन कार्यों से ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाएं भी सुगम होंगी।

**शहरी भूमि संबंधी कार्य**

**100.** शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली बनाई जाएगी। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की सुविधा उपलब्ध होगी।

**श्रम संबंधी सुधार**

**श्रमिकों के लिए सेवाएं**

**101.** हमारी सरकार श्रमिकों के लिए कई सेवाओं के प्रावधान की सुविधा देगी, इनमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा। तेजी से बदल रहे श्रम बाजार, कौशल जरूरतों और उपलब्ध रोजगार भूमिकाओं के लिए खुली संरचना वाले डाटाबेस और रोजगार आकांक्षियों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने वाले तंत्र को इन सेवाओं में शामिल किया जाएगा।

**श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल**

**102.** उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की आसानी बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत किया जाएगा।

**पूंजी और उद्यमशीलता संबंधी सुधार**

**वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति**

**103.** अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी सरकार इस क्षेत्र को आकार, क्षमता और कौशल के संदर्भ में तैयार करने हेतु एक वित्तीय क्षेत्र विजन और कार्यनीति दस्तावेज लाएगी। यह अगले 5 वर्ष के लिए कार्यसूची निर्धारित करेगा और सरकार, विनियामकों, वित्तीय संस्थाओं और बाजार भागीदारों के कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

**जलवायु वित्त के लिए टैक्सोनॉमी**

**104.** हम जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेंगे। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और हरित परिवर्तन में मदद मिलेगी।

**परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना**

**105.** हम विमानों और पोतों के पट्टों के वित्तपोषण और निजी इक्विटी की सामूहिक निधियों के लिए एक कुशल और लचीली पद्धति वाली ‘परिवर्तनीय पूंजी कंपनी’ की संरचना हेतु अपेक्षित विधायी अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

**विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश**

**106.** विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि (1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सुविधा हो, (2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके और (3) ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रूपए के उपयोग के लिए अवसरों को बढ़ावा मिले।

**एनपीएस वात्सल्य**

**107.** माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।

**प्रौद्योगिकी का प्रयोग**

**108.** हमने पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्पादकता में सुधार करने तथा हमारी अर्थव्यवस्था में असमानता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। डिजिटल अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र द्वारा नवाचारों से सभी नागरिकों, विशेषकर आम जनता की बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने में मदद मिली है। हम अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण में तेजी लाएंगे।

**व्यवसाय करने की आसानी**

**109.** ‘व्यवसाय करने की आसानी’ को बढ़ाने के लिए, हम जन विश्वास विधेयक 2.0 पर पहले से ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों को अपने व्यवसाय सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

**डाटा और सांख्यिकी**

**110.** डाटा संचालन, संग्रहण, प्रसंस्करण में सुधार तथा डाटा और सांख्यिकी के प्रबंधन के लिए डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत स्थापित डाटाबेस सहित विभिन्न क्षेत्रीय डाटाबेस का प्रयोग प्रौद्योगिकी टूल्स के सक्रिय उपयोग से किया जाएगा।

**नई पेंशन योजना (एनपीएस)**

**111.** एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा और साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता भी बनाए रखा जाएगा।

**बजट अनुमान 2024-25**

**112.** वर्ष 2024-25 के लिए, उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः ` 32.07 लाख करोड़ और ` 48.21 लाख करोड़ अनुमानित हैं। निवल कर प्राप्तियां ` 25.83 लाख करोड़ अनुमानित हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

**113.** वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः ` 14.01 लाख करोड़ और ` 11.63 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। दोनों ही वर्ष 2023-24 की तुलना में कम होंगे।

**114.** वर्ष 2021 में, मेरे द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन उपाय से हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है, और हमारा लक्ष्य अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है। सरकार इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2026-27 से, हमारा प्रयास प्रति वर्ष राजकोषीय घाटे को इस प्रकार रखना है कि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लगातार कम होता रहे।

अब, मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूँ।

**भाग ख**

**अप्रत्यक्ष कर**

माननीय अध्यक्ष महोदय,

**115.** मैं जीएसटी से शुरू करती हूँ। इसने आम आदमी पर कर के बोझ को कम किया है; अनुपालन के बोझ को कम किया है तथा व्यापार एवं उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को कम किया है; तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजस्व में बढ़ोत्तरी की है। इस व्यवस्था को अपार सफलता प्राप्त हुई है। जीएसटी के लाभों को कई गुना बढ़ाने के लिए हम कर संरचना को अधिक सरल और तर्कसंगत बनाने का प्रयास करेंगे तथा शेष क्षेत्रों में भी इसका विस्तार करने की कोशिश की जाएगी।

**116.** सीमा शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य, जन सामान्य और उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, घरेलू विनिर्माण को सहायता प्रदान करना, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और कराधान को सरल बनाना है।

**117.** बजट 2022-23 में हमने सीमा शुल्क की दरों की संख्या में कमी की थी। मैं, व्यापार सुविधा, शुल्क व्युत्क्रमण को दूर करने तथा विवादों में कमी लाने के लिए, अगले छह महीनों में दर संरचना को तर्कसंगत एवं सरल बनाने के लिए इन दरों की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**118.** अब मैं क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ।

**औषधियां और चिकित्सीय उपकरण**

**119.** कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं तीन और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का प्रस्ताव करती हूँ।

**120.** मैं चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली चिकित्सीय एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक्स-रे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी में बदलावों का भी प्रस्ताव करती हूँ, ताकि इन्हें स्वदेशी क्षमता में वृद्धि के अनुरूप बनाया जा सके।

**मोबाइल फोन और उससे जुड़े पार्ट**

**121.** पिछले छह वर्षों के दौरान मोबाइल के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि होने और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना वृद्धि होने से भारत का मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है। उपभोक्ताओं के हित में, अब मैं यह प्रस्ताव करती हूँ कि मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए।

**आवश्यक खनिज**

**122.** लीथियम, ताँबे, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे खनिज, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूर संचार और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। मैं 25 आवश्यक खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने और 02 खनिजों पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस उपाय से ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शुद्धिकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा तथा रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

**सौर ऊर्जा**

**123.** जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध संघर्ष में एनर्जी ट्रान्जिशन की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सहायता करने के लिए मैं देश में सोलर सैल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं की करमुक्त सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त सोलर ग्लास और टिन्ड कॉपर इंटरकनैक्ट की पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें प्रदान की गई सीमा शुल्क छूट को और आगे नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

**समुद्री उत्पाद**

**124.** पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का सीफूड निर्यात अब तक सबसे अधिक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक तक जा पहुँचा है। इस निर्यात में फ्रोजन श्रिम्प की हिस्सेदारी लगभग दो तिहाई है। इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, मैं कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ।

**चमड़ा और टेक्सटाइल**

**125.** इसी प्रकार, चमड़ा और टेक्सटाइल क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मैं बत्तख या गूज़ से मिलने वाले रियल डाउन फिलिंग मैटेरियल पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं निर्यात किए जाने वाले चमड़े और टेक्सटाइल गारमेंट, फुटवेयर और चमड़े की अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त, कर-मुक्त वस्तुओं की सूची में, कुछ और वस्तुओं को भी जोड़ रही हूँ।

**126.** शुल्क व्युत्क्रमण ठीक करने के लिए, मैं स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मिथाइलेन डाईफिनाइल डाईआईसोसाएनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को कुछ शर्तों के साथ 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**127.** इसके अलावा, रॉ हाइड, स्किन और चमड़े पर निर्यात शुल्क संरचना को सरल एवं तर्कसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

**कीमती धातुएं**

**128.** देश में सोने और कीमती धातुओं के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, मैं सोने और चाँदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को घटाकर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**अन्य धातुएं**

**129.** इस्पात और तांबा जरूरी कच्चा माल हैं। इनके उत्पादन की लागत को कम करने के लिए मैं फैरो निकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं फेरस स्क्रैप और निकल कैथोड पर शून्य बीसीडी तथा कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को भी जारी रख रही हूँ।

**इलेक्ट्रॉनिक्स**

**130.** स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं रेसिस्टरों के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर शर्तों के साथ बीसीडी को हटाए जाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं कनेक्टरों के विनिर्माण के लिए कुछ पार्ट्स को कर से छूट देने का प्रस्ताव भी करती हूँ।

**रसायन और पैट्रोरसायन**

**131.** मौजूदा और नई प्रस्तावित उत्पादन क्षमताओं में सहायता करने के लिए, मैं अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी 7.5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**प्लास्टिक**

**132.** पीवीसी फ्लेक्स बैनर बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। इनके आयात को कम करने के लिए, मैं इन पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**दूरसंचार उपकरण**

**133.** घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं विनिर्दिष्ट टेलीकाम इक्यूपमेंट के पी.सी.बी.ए. पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**व्यापार सुविधा**

**134.** घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मैं मरम्मत के लिए आयात किए गए माल के निर्यात की अवधि को छह महीनों से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी प्रकार, मैं वारंटी वाले माल को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय-सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**प्रत्यक्ष कर**

**135.** करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राजस्व बढ़ाने का कार्य करेंगे।

**136.** हमारा सदैव प्रयास कराधान को सरल बनाने का रहा है। हमने पिछले पाँच वर्षों में अनेक उपाय किए हैं जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूटों और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारम्भ करना शामिल है। करदाताओं द्वारा इसकी सराहना की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स सरलीकृत टैक्स व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। इसी प्रकार पिछले राजकोषीय (वर्ष) के लिए अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दो तिहाई से अधिक करदाताओं ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है।

**आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा**

**137.** अब मैं आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा कर रही हूँ। इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी जिससे करदाताओं को कर में निश्चितता प्राप्त होगी। इससे मुकदमेबाजी से जुड़ी मांग में कमी आएगी। इसे छह महीनों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

**138.** धर्मार्थ संस्थाओं के कर संबंधी प्रावधानों, टीडीएस रेट व्यवस्था, पुनः निर्धारण एवं सर्च के प्रावधानों तथा कैपिटल गेन कराधान के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाकर वित्त विधेयक में एक शुरूआत की जा रही है।

**धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस का सरलीकरण**

**139.** धर्मार्थ संस्थाओं के लिए कर में छूट की दो व्यवस्थाओं को मिलाकर एक करने का प्रस्ताव है। अनेक भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस दर को घटा कर 2 प्रतिशत टीडीएस दर किया जा रहा है और म्युचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद से भुगतानों में 20 प्रतिशत टीडीएस दर को समाप्त किया जा रहा है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से कम करके 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। साथ ही, टीसीएस की राशि को वेतन पर कटौती किए जाने वाले टीडीएस की गणना में लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मैं टीडीएस के भुगतान में विलम्ब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाईज करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं टीडीएस बकायों के लिए एक मानक कार्यप्रणाली प्रक्रिया (एसओपी) लाने और ऐसे बकायों के लिए कम्पाउंडिग दिशा-निर्देशों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने की भी योजना बना रही हूँ।

**पुनः निर्धारण का सरलीकरण**

**140.** मैं रिओपनिंग और पुनः निर्धारण के प्रावधानों को पूरी तरह से सरल बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। अब के बाद कोई निर्धारण, निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय ` 50 लाख या उससे अधिक हो। सर्च मामलों में भी, दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव है। इससे कर-अनिश्चितताओं और विवादों में कमी आएगी।

**कैपीटल गेन का सरलीकरण और युक्तीकरण**

**141.** कैपीटल गेन कराधान को भी अत्यधिक सरल बनाए जाने का प्रस्ताव है।

**142.** कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभों पर अब से कर 20 प्रतिशत की दर से लगेगा जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर जारी रहेगी।

**143.** दूसरी ओर, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर लगेगा। निम्न और मध्यम आय वाले वर्गों के लाभ के लिए, मैं परिसंपत्तियों पर कैपीटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर ` 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**144.** एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जबकि गैर-सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए इन्हें कम से कम दो वर्षों के लिए रखना होगा।

**145.** गैर-सूचीबद्ध बांड और डिबेंचर्स, डेब्ट म्युचुअल फंडों और मार्केट लिंक्ड डिबेंचरों पर समस्त होल्डिंग पीरियड हेतु कैपीटल गेन टैक्स लागू कर दर से देय होगा।

**करदाता सेवाएं**

**146.** जीएसटी के तहत सभी बड़ी करदाता सेवाओं और सीमा शुल्क तथा आयकर के अधीन ज्यादातर सेवाओं को डिजिटल रूप में ला दिया गया है। सीमा शुल्क और आयकर की सभी शेष सेवाओं जिनमें ऑर्डर गिविंग इफेक्ट व रैक्टिफिकेशन सम्मिलित हैं, को अगले दो वर्षों के दौरान डिजिटलीकरण किया जाएगा और उन्हें पेपर-लेस बनाया जाएगा।

**मुकदमाबाजी और अपील**

**147.** जहाँ एक ओर विभिन्न अपीलीय मंचों पर अपीलों के लंबित मामलों को कम करने के हमारे समन्वित प्रयासों से अच्छे नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर इस पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना जारी रहेगा।

**148.** प्रथम अपीलों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए, मैंने ऐसी अपीलों विशेषकर बड़े टैक्स के मामलों वाली अपीलों पर सुनवाई तथा निर्णय करने के लिए और अधिक अधिकारियों की तैनाती करने की योजना बनाई है।

**149.** अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए, मैं विवाद से विश्वास योजना, 2024 का भी प्रस्ताव कर रही हूँ।

**150.** इसके अलावा, टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः ` 60 लाख, ` 2 करोड़ और   
` 5 करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

**151.** अंतरराष्ट्रीय कराधान में मुकदमेबाजी कम करने और निश्चितता प्रदान करने के विचार से हम सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार करेंगे और उन्हें अधिक आकर्षक बनाएंगे। हम ट्रांसफर प्राइसिंग निर्धारण प्रक्रिया को भी सरल और सुचारू बनाएंगे।

**रोजगार और निवेश**

**152.** मेरे पास निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार को पोषित करने के कुछ प्रस्ताव हैं।

**153.** सबसे पहले, भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और इनोवेशन को समर्थन देने के लिए, मैं निवेशकों के सभी वर्गों के लिए तथाकथित एंजेल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**154.** दूसरा, भारत में क्रूज पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। रोजगार का सृजन करने वाले इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं देश में घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूँ।

**155.** तीसरा, हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का भारतीय उद्योग, जो बड़ी संख्या में कुशल कारीगरों को रोजगार देता है, विश्व में अग्रणी है। इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, हम देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान करेंगे।

**156.** चौथा, हमारी विकास की आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने हेतु, मैं विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

**कर आधार का विस्तार**

**157.** कर आधार का विस्तार करने के लिए मैं दो प्रस्ताव कर रही हूं। पहला, फ्यूचर्स और ऑप्सन्स के विकल्पों पर सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। दूसरा, इक्विटी हेतु, मैं शेयरों की बायबैक पर प्राप्त आय पर शेयरधारकों के स्तर पर करारोपण का प्रस्ताव करती हूँ।

**अन्य**

**158.** सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार हेतु, एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक व्यय की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

**159.** बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले भारतीय व्यावसायिकों को ईएसओपी मिलता है और वे विदेशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य चल आस्तियों में निवेश करते हैं। काला धन अधिनियम के तहत ऐसी छोटी विदेशी परिसंपत्तियों की सूचना नहीं देने पर दंड का प्रावधान है। ` 20 लाख तक की चल परिसंपत्तियों की ऐसी सूचना नहीं देने को गैर-दांडिक बनाने का प्रस्ताव है।

**160.** वित्त विधेयक के अन्य प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित हैं:

* 2 प्रतिशत के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस लेना,
* आईएफएससी में कुछ निधियों और निकायों के लिए कर लाभों का विस्तार; और।
* फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर पर बेनामीदार को शास्ति और अभियोजन से उन्मुक्ति ताकि बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन में सुधार हो।

**व्यक्तिगत आयकर**

**161.** व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में, मैं नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए दो घोषणाएं कर रही हूं। पहला, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ` 50,000 से बढ़ाकर ` 75,000 करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को   
` 15,000 से बढ़ाकर ` 25,000 करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

**162.** दूसरा, नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव हैः

|  |  |
| --- | --- |
| 0-3 लाख रुपए | शून्य |
| 3-7 लाख रुपए | 5 प्रतिशत |
| 7-10 लाख रुपए | 10 प्रतिशत |
| 10-12 लाख रुपए | 15 प्रतिशत |
| 12-15 लाख रुपए | 20 प्रतिशत |
| 15 लाख रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में ` 17,500 तक कर लाभ होगा।

**163.** इसके अलावा, मैं अनुलग्नक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कुछ और संशोधन कर रही हूँ।

**164.** इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप लगभग ` 37,000 करोड़ जिसमें से   
` 29,000 करोड़ प्रत्यक्ष करों के तथा ` 8,000 करोड़ अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग ` 30,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग  
` 7,000 करोड़ होगा।

**165.** माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ ही, मैं यह बजट इस सदन के समक्ष रखती हूँ।

जय हिंद।

\*\*\*\*\*

**भाग­-क का अनुबंध**

**प्रधान मंत्री रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पैकेज**

**कवरेज और अनुमानित केंद्रीय परिव्यय**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **नामांकन की अवधि** | **व्यय की अवधि** | **लाभार्थी** | **केंद्रीय परिव्यय** |
|  | वर्ष | | (लाख में) | (`करोड़ में) |
| रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन |  |  |  |  |
| योजना क (पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए) | 2 | 3 | 210 | 23,000 |
| योजना ख (विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वालों को बड़ी संख्या में नियुक्त करने के लिए) | 2 | 6 | 30 | 52,000 |
| योजना ग (रोजगार सृजन) | 2 | 6 | 50 | 32,000 |
| इंटर्नशिप कार्यक्रम (चरण 1) | 2 | 3 | 30 | 19,000 |
| इंटर्नशिप कार्यक्रम (चरण 2) | 3\* | 4\* | 70 | 44,000 |
| आईटीआई का उन्नयन | लागू नहीं | 5 | 20 | 30,000 |
| **कुल** | | | **410** | **2,00,000** |

*\*तीसरे वर्ष से शुरू*

**योजना की रूपरेखा**

**I. रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना कः पहली बार रोजगार पाने वाले** (पैरा 20)

* सब्सिडी के रूप में एक महीने की मजदूरी (अधिकतम `15,000)
* सभी क्षेत्रों के लिए लागू
* पहली बार रोजगार पाने वालों को पूरी तरह उत्पादक बनने से पहले सीखने के दौर से गुजरना पड़ता है; यह सब्सिडी पहली बार रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं की सहायता करने के लिए है।
* प्रतिमाह 1 लाख रुपए से कम मजदूरी/वेतन वाले रोजगार पहली बार पाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू है।
* इस सब्सिडी का भुगतान कर्मचारी को तीन किस्तों में किया जाएगा।
* कर्मचारी को दूसरी किस्त का दावा करने से पहले ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता का अनिवार्य पाठ्यक्रम सीखना होगा।
* यदि पहली बार रोजगार पाने वाले का रोजगार भर्ती होने से 12 महीनों की अवधि में समाप्त हो जाता है तो सब्सिडी की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी।
* आशा है कि इससे प्रतिवर्ष एक करोड़ व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
* इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी

**2. रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना ख: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन** (पैरा 21)

* विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार रोजगार पाने वालों को बड़ी संख्या में नियुक्त करने की स्थिति में लागू
* कारपोरेट प्रतिष्ठानों और गैर-कारपोरेट प्रतिष्ठानों सहित वे सभी नियोक्ता इसके पात्र होंगे जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान ईपीएफओ अंशदान करने का ट्रैक रिकॉर्ड है।
* नियोक्ता को कम से कम निम्नलिखित संख्या में ऐसे कामगारों को नियुक्त करना होगा, जिनका पहले से ईपीएफओ नामांकन न हुआ होः
* 50 या
* बेसलाइन (पिछले वर्ष ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या) का 25 प्रतिशत [जो भी कम हो]
* प्रोत्साहन राशि के कुछ हिस्से का भुगतान कर्मचारी और कुछ हिस्से का भुगतान नियोक्ता को चार वर्षों तक किया जाएगा, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैः

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष** | **प्रोत्साहन राशि (नियोक्ता और कर्मचारी के बीच बराबर बांटा जाने वाला मजदूरी/वेतन का प्रतिशत)** |
| 1 | 24 |
| 2 | 24 |
| 3 | 16 |
| 4 | 8 |

* नियोक्ता को इस पूरी अवधि के दौरान रोजगार में वृद्धि का शुरूआती स्तर बनाए रखना होगा और ऐसा न करने पर सब्सिडी का लाभ रुक जाएगा।
* कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी देने वाले प्रतिष्ठान में सीधे नियुक्त होना आवश्यक है (अर्थात् इन सोर्स कर्मचारी)।
* ईपीएफओ में अंशदान करने की शर्त के अधीन 1 लाख रुपए तक की मासिक मजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे।
* `25,000 प्रति माह से अधिक मजदूरी/वेतन पाने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि की गणना `25,000 प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी।
* यदि पहली बार रोजगार पाने वाले का रोजगार भर्ती होने की तारीख से 12 महीने की अवधि में समाप्त हो जाता है तो सब्सिडी की राशि नियोक्ता को लौटानी होगी।
* यह सब्सिडी भाग क के अधीन दिए जाने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी।
* इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी।

**3. रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना गः नियोक्ताओं को सहायता** (पैरा 22)

* ऐसे नियोक्ता पर लागू, जोः
* बेसलाइन (पिछले वर्ष में ईपीएफओ कर्मचारियों की संख्या) की तुलना में कम से कम दो कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ता) या 5 कर्मचारी (50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता) बढ़ाता है और उच्चतर स्तर को बनाए रखता है, तथा
* उन कर्मचारियों के संबंध में जिनका वेतन एक लाख रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है।
* इस भाग के अंतर्गत आने वाले नए कर्मचारी ईपीएफओ में पहली बार शामिल हुए हों।
* पिछले वर्ष में नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में नियुक्त किए गए अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए `3000 प्रतिमाह तक के ईपीएफओ नियोक्ता अंशदान की प्रतिपूर्ति सरकार दो वर्षों तक करेगी।
* यदि नियोक्ता 1000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करता है तोः
* प्रत्येक तिमाही में पिछली तिमाही से जुड़ी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
* यह सब्सिडी भाग ख में नियोक्ता लाभ के पैमाने पर ही तीसरे और चौथे वर्ष तक जारी रहेगी।
* भाग-ख में शामिल कर्मचारियों पर लागू नहीं।
* यह सब्सिडी भाग 'क' के अधीन दिए जाने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी।
* इस योजना की अवधि 2 वर्ष होगी।

**4. कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन** (पैरा 24)

* पाँच वर्षों में हब और स्पोक व्यवस्था में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन किया जाएगा।
* राज्यों और उद्योग के सहयोग से नई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना
* कौशल प्रशिक्षण के परिणाम और गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा।
* पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और रूपरेखा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाएगी।
* पाँच वर्षों में कुल `60000 करोड़ का परिव्यय
* भारत सरकार – `30000 करोड़
* राज्य सरकारें – `20000 करोड़
* उद्योग – `10000 करोड़ (सीएसआर वित्तपोषण सहित)
* उद्योग के सहयोग से 200 हब और 800 स्पोक आईटीआई
* मौजूदा पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पुनः तैयार करना और उनकी समीक्षा करना
* नए पाठ्यक्रम
* सभी 1000 आईटीआई में 1 से 2 वर्षों के पाठ्यक्रम
* हब आईटीआई में अल्पकालिक विशेषज्ञ पाठ्यक्रम
* प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
* 20 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

**5. शीर्ष कम्पनियों में इंटर्नशिप** (पैरा 51)

* पांच वर्षों में भारत की शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
* `5000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधान मंत्री इंटर्नशिप।
* उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
* 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
* लागत में भागीदारी (प्रति वर्ष):
* सरकार - मासिक भत्ते के लिए `54000 (तथा अनुषंगिक खर्चों के लिए `6000 का अतिरिक्त अनुदान)
* कंपनी – मासिक भत्ते के लिए सीएसआर निधियों से `6000
* प्रशिक्षण की लागत कंपनी द्वारा सीएसआर निधियों से वहन की जाएगी।
* प्रशासनिक लागत संबंधित पक्षों द्वारा वहन की जाएगी (कंपनी के लिए यथोचित प्रशासनिक खर्चों को सीएसआर व्यय माना जा सकता है)।
* कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है
* आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।
* वस्तुनिष्ठ मानदण्डों पर आधारित चयन सूची से कंपनी को चयन करना है और इस चयन में उन व्यक्तियों पर जोर दिया जाएगा जिनकी रोजगार पाने की क्षमता कम है।
* अपात्र अभ्यर्थी (निर्देशात्मक सूची)
* अभ्यर्थी के पास आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, सीए, सीएमए इत्यादि की अर्हता हो
* अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य आयकर निर्धारिती हो
* अभ्यर्थी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी इत्यादि हो
* कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति को उस कौशल के संबंध में वास्तविक कार्यकारी अनुभव का अवसर प्रदान करे, जिस कौशल से कंपनी जुड़ी हो।
* अभ्यर्थी का कंपनी में कम से कम आधा कार्य समय वास्तविक कार्यकारी अनुभव/रोजगार परिवेश में गुजरना चाहिए न कि कक्षा में।
* यदि कंपनी स्वयं ऐसा न कर सकती हो तो उसेः
* अपनी फोरवर्ड और बैकवर्ड आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कंपनियों (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता या ग्राहक) के साथ तालमेल करना होगा या अपने समूह में या
* अन्यथा अन्य कंपनियों/संस्थाओं से तालमेल स्थापित करना होगा।
* जहां कहीं लागू हो वहाँ राज्य सरकार की पहलों के साथ समन्वय किया जाएगा।
* इस योजना के पहले चरण की अवधि 2 वर्ष होगी जिसके बाद दूसरे चरण की अवधि 3 वर्ष होगी।

टिप्पणी: योजनाओं का ब्यौरा मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया के दौरान संशोधन के अध्यधीन है।

**भाग-ख का अनुबंध**

**अप्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन**

|  |
| --- |
| **क. सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन** |
| **क.1 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन**  (i) धारा 28घक को व्यापारिक करारों में दिए गए स्रोत के साक्ष्य की विभिन्न श्रेणियों को स्वीकार्य बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है ताकि उक्त धारा को स्वप्रमाणन का प्रावधान करने वाले नए व्यापारिक करारों के अनुरूप बनाया जा सके।  (ii) वस्तुओं के जिस वर्ग की अनुमति वैयरहाउस में नहीं होगी उस वर्ग की वस्तुओं के संबंध में कतिपय विनिर्माण और अन्य कार्यों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान करने के लिए धारा 65 की उपधारा (1) में परंतुक अंतर्विष्ट किया जा रहा है।  (iii) व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 143कक में “आयातकों या निर्यातकों का वर्ग” शब्दों को “आयातकों या निर्यातकों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों का वर्ग” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) में पारिणामिक परिवर्तन किए जा रहे हैं।  ये परिवर्तन वित्त (संख्या 2) विधेयक को स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।  **क.2 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन**   1. टैरिफ आयोग को बंद किए जाने के कारण धारा 6 का विलोप किया जा रहा है। 2. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है, ताकि- 3. 24.07.2024 से कतिपय टैरिफ मदों पर दरें बढ़ाई जा सकें। 4. रक्षा उत्पादों, तकनीकी टैक्सटाइल, सस्टेनेबल मिश्रित हवाई ईंधन, भारतीय सेमीकंडक्टर मशीनों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों, ई-साइकिलों, प्राकृतिक मैंथोल, प्रिंटर कार्टरिज इत्यादि के संबंध में नई टैरिफ लाइनें तैयार की जा सके। इसका उद्देश्य टैरिफ लाइनों को डब्ल्यूसीओ वर्गीकरण के अनुरूप बनाना और वस्तुओं की बेहतर ढ़ंग से पहचान निर्धारित करना है। ये परिवर्तन 01.10.2024 से प्रभावी होंगे।   **क.3 सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995**  सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को न्यू शिपर रिव्यू का प्रावधान अंतर्विष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है। यह संशोधन 24.07.2024 से प्रभावी होगा। |
| **ख. जीएसटी कानूनों में विधायी परिवर्तन**  **[अन्यथा दी गई तिथि के अलावा, ये परिवर्तन जीएसटी परिषद की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों से समन्वय करके अधिसूचित की जाने वाली किसी तारीख से प्रभावी किए जाएंगे]** |
| **व्यापार सुविधा के लिए संशोधन**  **ख.1 एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को केंद्रीय कर के दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन**  मानवों के उपभोग के लिए शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल को केंद्रीय कर के दायरे से बाहर रखने के लिए धारा 9 में संशोधन किया जा रहा है। आईजीएसटी अधिनियम और यूटीजीएसटी अधिनियम में भी इसी प्रकार के संशोधनों का प्रस्ताव है।  **ख.2 सामान्य पद्धति के कारण केंद्रीय कर की उगाही न किए जाने अथवा कम उगाही किए जाने के विनियमन के लिए संशोधन**  व्यापार में प्रवृत्त किसी सामान्य पद्धति के कारण केंद्रीय कर की उगाही न किए जाने या कम उगाही किए जाने को विनियमित करने का अधिकार सरकार को देने के लिए धारा 11क अंतर्विष्ट की जा रही है। आईजीएसटी अधिनियम, यूटीजीएसटी अधिनियम और जीएसटी (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम में इसी प्रकार का अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।  **ख.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की समय सीमा में छूट देने के लिए संशोधन**  सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में नई उप-धाराएं (5) और (6) अंतर्विष्ट की जा रही है ताकि 01.07.2017 से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की समय सीमा में छूट दी जा सके, जो कि इस प्रकार हैं:   1. **जीएसटी के कार्यान्वयन के शुरूआती वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के संबंध में:**   पंजीकृत व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में किसी बीजक या डेबिट नोट के संबंध में धारा 39 के अधीन किसी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने का अधिकार होगा जो 30 नवम्बर, 2021 तक फाइल की गई।   1. **निरसन के बाद फाइल की गई विवरणियों के मामलों के संबंध में**   जिन मामलों में पंजीकरण रद्द किए जाने/पंजीकरण रद्द होने के आदेश के प्रभावी होने की तारीख से पंजीकरण रद्द होने के आदेश के निरसन की तारीख तक की अवधि के संबंध में बीजक या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने की समय सीमा कतिपय शर्तों के अधीन जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किए जाने की तारीख तक बढ़ जाएगी, यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त विवरणी पंजीकरण को रद्द करने के निरसन के आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर फाइल कर दी जाती है।  **ख.4 मांग नोटिस और आदेश जारी करने के लिए समान समय सीमा का प्रावधान करने के लिए नई धारा को अंतर्विष्ट किया जाना**  जालसाजी, तथ्यों छुपाने या जानबूझकर गलतबयानी के आरोपों के मामलों और जिन मामलों में ऐसे आरोप नहीं हैं, उन सभी के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से मांगों के संबंध में डिमांड नोटिस और आदेश जारी करने के लिए समान समय सीमा का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में धारा 74क अंतर्विष्ट की जा रही है। इसके अतिरिक्त, ब्याज के साथ मांगे गए कर का भुगतान करके जुर्माने में कमी का लाभ लेने के लिए करदाताओं हेतु समय सीमा को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किया जा रहा है।  **ख.5 अपीलें फाइल करने के लिए पूर्व-डिपोजिट की अधिकतम राशि कम करने के लिए संशोधन**  अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने के लिए पूर्व-डिपोजिट की अधिकतम राशि को केंद्रीय कर के 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ रुपए करने तथा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-डिपोजिट की राशि को अधिकतम 50 करोड़ रुपए की राशि के केंद्रीय कर के 20 प्रतिशत से घटाकर केंद्रीय कर के 20 करोड़ रुपए के अधिकतम 10 प्रतिशत करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 और 112 में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें फाइल करने की समय सीमा को 01 अगस्त, 2024 से आशोधित किया जा रहा है, ताकि अपीलीय न्यायाधिकरण की कार्रवाई शुरू न होने के कारण अपीलों के टाइम बार होने बचा जा सके।  **ख.6 कतिपय कर अवधियों के संबंध में धारा 73 के अंतर्गत की गई मांग के संबंध में ब्याज या जुर्माने या दोनों से सशर्त छूट देने के लिए संशोधन**  जिन मामलों में धारा 73 के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए गए हैं और करदाता द्वारा पूरी कर देनदारी का भुगतान अधिसूचित की जाने वाली तारीख से पहले कर दिया जाता है उन मामलों में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित मांगों के संबंध में ब्याज और जुर्माने से छूट का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में धारा 128क अंतर्विष्ट की जा रही है।  **ख.7 नियत तारीख से पहले प्राप्त हुए बीजकों के संबंध में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पात्र सीईएनवीएटी क्रेडिट के ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ दिलाने के लिए संशोधन**  जिन मामलों में बीजक भी नियत दिन से पहले प्राप्त हुए उन मामलों में नियत दिन से पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को प्राप्त इनपुट सर्विस के संदर्भ में ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ दिलाने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140(7) को 01.07.2017 से संशोधित किया जा रहा है।  **ख.8 मुनाफाखोरी विरोधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण को अधिसूचित करने तथा मुनाफाखोरी विरोधी मामलों को स्वीकार करने के लिए सावधि विधि खण्ड का प्रावधान करने का अधिकार सरकार को देने के लिए संशोधन**  मुनाफाखोरी विरोधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण तथा उस तारीख को अधिसूचित करने का अधिकार सरकार को देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 को संशोधित किया जा रहा है, जिसके बाद मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकारी जाँच के लिए आवेदनों को स्वीकार नहीं करेगा।  **ख.9 बीमा क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों को न तो वस्तुओं की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में स्पष्ट करने के लिए संशोधन**  यह प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची III में पैरा 8 और 9 अंतर्विष्ट किए जा रहे हैं कि सह-बीमा करार में शीर्ष बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ताओं को सह-बीमा प्रीमियम बाँटे जाने के कार्यकलाप तथा बीमा कर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं को सीडिंग/पुनर्बीमा कमीशन दिए जाने को न तो वस्तुओं की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।  **सीजीएसटी अधिनियम में अन्य कानूनी संशोधन**  **ख.10 रिवर्स चार्ज आपूर्तियों में सेवा की आपूर्ति का समय स्पष्ट करने के लिए संशोधन**  रिवर्स चार्ज आपूर्तियों के जिन मामलों में सेवाएं प्राप्त करने वाले को बीजक जारी करना होता है, उन मामलों में सेवाओं की आपूर्ति के समय का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।  **ख.11 वित्तीय वर्ष 2023-24 तक मांगों के लिए धारा 74 के अधीन भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की ब्लॉकेज को रोकने के लिए संशोधन**  वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित मांगों के संबंध में धारा 74 के अधीन भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की ब्लॉकेज को रोकने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (i) में संशोधन किया जा रहा है।  **ख.12 पंजीकरण को रद्द किए जाने के आदेश के निरसन के लिए शर्तों और प्रतिबंधों का प्रावधान करने के लिए संशोधन**  पंजीकरण को रद्द किए जाने के आदेश के निरसन के लिए शर्तें और प्रतिबंध निर्धारित करने का अधिकार सरकार को देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 30 में संशोधन किया जा रहा है।  **ख.13 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाइज में प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की समयावधि निर्धारित करने के लिए संशोधन**  रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा जिस समयावधि में बीजक जारी किया जाना चाहिए उस समयावधि को निर्धारित करने और यह स्पष्ट करने के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 31 के खण्ड (च) में संशोधन किया जा रहा है कि केवल सीजीएसटी अधिनियम की धारा 51 के अधीन टीडीएस की कटौती के प्रयोजनार्थ पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में यह माना जाएगा कि वह उक्त अधिनियम की धारा 31(3) के खण्ड (च) के प्रयोजनार्थ पंजीकृत नहीं है।  **ख.14 टीडीएस कटौतीकर्ताओं द्वारा मासिक विवरणियां फाइल किए जाने को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन**  टीडीएस कटौतीकर्ताओं द्वारा प्रत्येक महीने की विवरणियां फाइल करने को अनिवार्य बनाने, चाहे किसी महीने में कोई कटौती न हुई हो, और ऐसी विवरणियां फाइल करने के लिए समय सीमा निर्धारित के लिए अनुकूल खण्ड का प्रावधान भी करने के लिए धारा 39 को संशोधित किया जा रहा है।  **ख.15 जिन मामलों में जीरो रेट वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगता हो उन मामलों में जीरो रेट वाली वस्तुओं की आपूर्ति में प्रतिदाय का निषेध करने के लिए संशोधन**  जिन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगता है उन वस्तुओं की जीरो रेट वाली आपूर्ति पर उपयोग न किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या समेकित टैक्स के प्रतिदाय का निषेध करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 में संशोधन किया जा रहा है।  **ख.16 जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है उसकी ओर से प्राधिकृत प्रधिनिधि को उपस्थित हो ने की अनुमति देने के लिए संशोधन**  जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है उस व्यक्ति की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने का प्रावधान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धार 70 में उप-धारा 1(क) अंतर्विष्ट की जा रही है। |
| **ख17. सरकार को उन मामलों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए संशोधन जिनकी सुनवाई जीएसटी अपीलीय अधिकरण के केवल प्रधान पीठ के द्वारा ही की जाएगी।**  उन मामलों जिनकी सुनवाई अपीलीय प्राधिकरण के केवल प्रधान पीठ के द्वारा ही की जानी है, को निर्दिष्ट करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 109 में संशोधन किया जा रहा है।  **ख18. इलेक्ट्रोनिक कार्मस आपरेटर जो टीसीएस की कटौती करते हैं, के संबंध में धारा 122(1ख) के अंतर्गत दंडात्मक उपबंधों की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए संशोधन।**  सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122(1ख) को 01 अक्तूबर, 2023 से संशोधित किया जा रहा है ताकि इस धारा के अंतर्गत दंडात्मक उपबंधों की प्रयोज्यता को केवल उन इलेक्ट्रोनिक कार्मस आपरेटर तक सीमित किया जा सके जिन्हें धारा 52 के अंतगत स्रोत से कर का संग्रह करना अपेक्षित है।  **ख19. सीजीएसटी अधिनियम में एक नई धारा 74क अंतर्विष्ट करने के कारण परिणामी संशोधन।**  सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 और 74 में संशोधन किया जा रहा है ताकि इन धाराओं की प्रयोज्यता को वित्तीय वर्ष 2023-24 की मांग तक सीमित किया जा सके, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से मांगों का निर्धारण प्रविष्ट की गई नई धारा 74क के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा, धोखाधड़ी, सूचना छुपाने अथवा जानबूझकर गलत विवरण देने का आरोप प्रमाणित न होने पर दंडों के पुनर्निर्धारण की अनुमति देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 75 को भी संशोधित किया जा रहा है। इसके अलावा, धारा 74क अथवा धारा 74क की उप-धाराओं के निर्देशनों को धारा 10, धारा 21, धारा 35, धारा 49, धारा 50, धारा 51, धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 104 और धारा 127 में अंतर्विष्ट किया जा रहा है। |
| **ग. वित्त (संख्या 2) विधेयक में अन्य उपबंध** |
| **ग.1 सीमा शुल्क संशोधन अधिसूचना, दिनांक 10.05.2023**  डीजीएफटी तथा 31 मार्च, 2023 को अथवा इससे पहले लदान विधेयक द्वारा आबंटित वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टीआरक्यू प्राधिकार में अप्रयुक्त कोटे की उपलब्धता के अध्यधीन कच्चे सोयबीन तेल तथा कच्चे सूर्यमुखी तेल के आयात पर मूलभूत सीमा शुल्क तथा एआईडीसी से छूट देने के लिए दिनांक 10.05.2023 की अधिसूचना सं.37/2023- सीमा शुल्क को 1 अप्रैल, 2023 से 10 मई, 2023 तक विधिमान्य किया जा रहा है। ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 के लिए सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। |
| **ग.2** **केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिसूचना, 17.03.2012**  मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंतिम प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 120 माह से बढ़ाकर 156 माह करने के लिए अधिसूचना सं. 12/2012-केंद्रीय उत्पाद, दिनांक 17.03.2012 को संशोधित किया जा रहा है। ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 के लिए सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। |
| **ग.3 स्वच्छ पर्यावरण उप-कर से छूट**  स्वच्छ पर्यावरण उप-कर जिसे उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया और संग्रहित किया जाता है, को 30 जून, 2017 की स्थिति के अनुसार स्टॉक में रखे उत्पाद शुल्क देय वाली वस्तुओं पर से छूट दी जा रही है बशर्ते कि 1 जुलाई, 2017 को या इसके पश्चात ऐसे वस्तु की आपूर्ति पर उपयुक्त जीएसटी प्रतिपूर्ति उप-कर का भुगतान किया गया हो। ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 के लिए सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। |
| **ग.4 जीएसटी प्रतिपूर्ति उप-कर 2017 से छूट**  जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर एसईजेड की इकाईयों अथवा डेवलपर द्वारा अधिकृत परिचालनों के लिए एसईजेड में किए गए आयात पर 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी प्रतिपूर्ति उप-कर से छूट दी जा रही है। ये परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 के लिए सहमति दिए जाने की तारीख से लागू होंगे। |

**घ. सीमा शुल्क दर में परिवर्तन**

**घ.1. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इनपुट लागत को कम करने, मूल्यवर्धन का विस्तार करने, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, व्युत्क्रमित शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए सीमा शुल्क में कटौती [दिनांक 24.07.2024 से प्रभावी]**

| क्र. सं. | वस्तु | मौजूदा दर  (प्रतिशत) | नई दर  (प्रतिशत**)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **कृषि उत्पाद** | | |
| 1. | शीया नट्स | 30 | 15 |
| **II.** | **एक्वाफार्मिंग एवं मैरिन एक्सपोर्ट** | | |
| 1 | प्रॉन और श्रिम्प्स फीड | 15 | 5 |
| 2 | फिश फीड | 15 | 5 |
| 3. | प्रॉन तथा श्रिम्प्स फीड या फिश फीड के उत्पादन के लिए निम्नलिखित इनपुट:   1. मिनरल और विटामिन प्रीमिक्सेस 2. क्रिल मील 3. फिश लिपिड ऑयल 4. क्रूड फिश ऑयल 5. ऐल्गल प्राइम (फ्लार) 6. ऐल्गल ऑयल | 30/15/5 | शून्य |
| 4 | अर्टिमिया | 5 | शून्य |
| 5 | अर्टिमिया सिस्ट | 5 | शून्य |
| 6 | एसपीएफ पॉलिकीट वॉर्मस | 30 | 5 |
| 7 | लाइव एसपीएफ वनामेई श्रिम्प (लिटोपेनस वनामेई) ब्रूडस्टॉक एवं लाइव ब्लैक टाइगर श्रिम्प (पिनेस मोनोडन) ब्रूडस्टॉक | 10 | 5 |
| 8 | एक्वैटिक फीड के उत्पादन में प्रयुक्त, आरएंडडी के लिए इंसेक्ट मील | 15 | 5 |
| 9 | एक्वैटिक फीड के उत्पादन में प्रयुक्त, आरएंडडी के लिए प्राकृतिक गैस से सिंगल सेल प्रोटीन | 15 | 5 |
| 10 | सी फूड की प्रोसेसिंग में प्रयोग के लिए प्री-डस्ट ब्रीडेड पाउडर | 30 | शून्य |
| **III.** | **महत्वपूर्ण खनिज** | | |
| 1. | एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, हैफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नयोबियम, निकल, पोटाश, आरईई, रीनियम, स्ट्रोन्टियम, टैंटेलम, टेलूरियम, टिन, टंगस्टन, वनेडियम, जिर्कोनियम, सेलेनियम, कैड्मियम, क्वार्ट्ज एवं सिलकॉन डाई-ऑक्साइड के अलावा सिलिकॉन | 10/7.5/5/2.5 | शून्य |
| 2. | ग्रैफाइट | 7.5/5 | 2.5 |
| 3 | 1. सिलिकॉन क्वार्टज 2. सिलिकॉन डाईऑक्साइड | 7.5/5 | 2.5 |
| **IV.** | **कैंसर की दवा** | | |
| 1. | 1. ट्रैस्टूजूमैब डेरक्स्टेकैन 2. ओसिमेर्टिनिब 3. डर्वालुमैब | 10 | शून्य |
| **V.** | कीमती धातु | | |
| 1. | गोल्ड बार | 15 | 6 |
| 2. | गोल्ड डोरे | 14.35 | 5.35 |
| 3. | सिल्वर बार | 15 | 6 |
| 4. | सिल्वर डोरे | 14.35 | 5.35 |
| 5. | प्लैटिनम, पलैडियम, ओस्मियम, रुथेनियम, इरिडियम | 15.4 | 6.4 |
| 6. | कीमती धातु के सिक्के | 15 | 6 |
| 7. | गोल्ड/सिल्वर फाइडिंग्स | 15 | 6 |
| 8. | नोबेल मेटल सोल्यूशन और कैटेलिटिक कंवर्टर्स के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले प्लैटिनम और पलैडियम | 7.5 | 5 |
| 9. | भारत से बाहर निर्यात किए गए जर्जर अथवा टूटे बुशिंग के बदले प्लैटिनम और रोडियम के मिश्रण से बने बुशिंग का आयात | 7.5 | 5 |
| **VI.** | **कपड़ा और लेदर क्षेत्र** | | |
| 1. | स्पेंडेक्स यार्न बनाने के लिए एमडीआई | 7.5 | 5 |
| 2. | निर्यात के लिए कपड़े या लेदर के गार्मेंट, लेदर/सिंथेटिक फुटवेयर अथवा अन्य लेदर उत्पाद बनाने के लिए वेट व्हाइट, क्रस्ट तथा फिनिष्ड लेदर, | 10 | शून्य |
| 3. | निर्यात के लिए कपड़े अथवा लेदर गारमेंट, लेदर/सिंथेटिक फुटवेयर अथवा अन्य लेदर उत्पाद बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त सहायक सामग्री तथा सजावट के समान, | यथा प्रयोज्य | शून्य |
| 4. | निर्यात के लिए कपड़े अथवा लेदर गारमेंट बनाने में प्रयोग हेतु बत्तख और गूज से रियल डाउन फिलिंग मेटेरियल | 30 | 10 |
| **VII.** | इस्पात क्षेत्र |  |  |
| 1. | फेरो-निकेल | 2.5 | शून्य |
| 2. | फेरस स्क्रैप | शून्य (30.09.2024 तक) | शून्य (31.03.2026 तक) |
| 3. | सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कुछ निर्दिष्ट कच्चा माल | शून्य (30.09.2024 तक) | शून्य (31.03.2026 तक) |
| **VIII.** | **कॉपर क्षेत्र** |  |  |
| 1. | ब्लिस्टर कॉपर | 5 | शून्य |
| **IX.** | कैपिटल गुड्स | | |
| 1. | पेट्रोलियम की खोज संबंधी कार्य में प्रयोग हेतु कुछ अतिरिक्त सामग्री | यथा प्रयोज्य | शून्य |
| 2. | सोलर सेल और मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त कैपिटल गुड्स | 7.5 | शून्य |
| **X.** | शिपिंग क्षेत्र | | |
| 1. | जलयान के विनिर्माण के लिए कंपोनेन्ट एवं कंज्यूमेबल | यथा प्रयोज्य | शून्य |
| 2. | युद्धपोत के विनिर्माण के लिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन तथा स्पेयरपार्ट्स | यथा प्रयोज्य | शून्य |
| **XI.** | **आईटी और इलैक्ट्रॉनिक्स** | | |
| 1. | सेलुलर मोबाईल फोन | 20 | 15 |
| 2. | सेलुलर मोबाईल फोन का चार्जर/एडैप्टर | 20 | 15 |
| 3. | सेलुलर मोबाईल फोन का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेम्बली (पीसीबीए) | 20 | 15 |
| 4 | कनेक्टर के विनिर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाले विनिर्दिष्ट वस्तु | 5/7.5 | शून्य |
| 5. | रेसिस्टरों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन मुक्त कॉपर | 5 | शून्य |
| **XII.** | चिकित्सा उपकरण | | |
| 1. | ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के पोलीएथिलिन | यथा प्रयोज्य | शून्य |
| 2. | शरीर के अन्य कृत्रिम अंगों के विनिर्माण के लिए विशेष श्रेणी के स्टैन्लेस स्टील, टाईटेनियम एलॉय, कोबाल्ट क्रोम एलॉय और सभी प्रकार के पोलीएथिलिन | यथा प्रयोज्य | शून्य |
| 3. | मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल अथवा वेटेनरी एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण के लिए एक्स-रे ट्यूब तथा फ्लैट पैनल डिटेक्टर (सिंटिलेटर्स सहित) | 15 | 5  (31.03.2025 तक)  7.5  (1.4.2025 से 31.3.2026)  10  (1.4.2026 के पश्चात) |

**घ.2. सीमा शुल्क में वृद्धि [24.07.2024 से प्रभावी]**

| क्र.सं. | वस्तु | शुल्क की दर | |
| --- | --- | --- | --- |
| मौजूदा दर  (प्रतिशत) | नई दर  (प्रतिशत) |
| **I.** | **प्लास्टिक और केमिकल्स** | | |
| 1. | अमोनियम नाइट्रेट | 7.5 | 10 |
| 2. | पीवीसी फ्लेक्स फिल्म/फ्लेक्स बैनर | 10 | 25 |
| **II** | **केमिकल्स** | | |
| 1 | शीर्षक 9802 के अंतर्गत लेबोरेट्री केमिकल्स | 10 | 150 |
| **III.** | नवीकरणीय क्षेत्र | | |
| 1. | सोलर सेल अथवा मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए सोलर ग्लास | शून्य | 10  (1.10.24 से) |
| 2. | सोलर सेल अथवा मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए टिन्ड कॉपर इंटर कनेक्ट | शून्य | 5  (1.10.24 से) |
| **IV.** | विविध सामग्री | | |
| 1. | निर्दिष्ट टेलीकम उपकरण का पीसीबीए | 10 | 15 |
| 1. | गार्डेन अम्ब्रेला (टेरिफ मद 6601 10 00) | 20 | 20 या ₹60 प्रति नग, जो भी अधिक हो |

**घ.3. प्रभावी शुल्क दर में कोई परिवर्तन किए बिना प्रशुल्क दर में वृद्धि [दिनांक 01.10.2024 से प्रभावी]**

| **क्र.सं.** | **वस्तु** | **शुल्क की दर** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **मौजूदा दर**  **(प्रतिशत)** | **नई दर**  **(प्रतिशत)** |
| 1 | अरेका नट सहित अन्य रोस्टेड नट्स एवं सीड | 30 | 150 |
| 2 | अरेका नट सहित अन्य नट्स जिन्हें तैयार अथवा परिरक्षित न किया गया हो | 30 | 150 |

**घ.4 रॉ हाइड्स, स्किन्स तथा लेदर के संबंध में निर्यात शुल्क को युक्तिसंगत बनाना [दिनांक 24.07.2024 से प्रभावी]**

| **क्र.सं.** | **वस्तु** | **शुल्क की दर** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **मौजूदा दर**  **(प्रतिशत)** | **नई दर**  **(प्रतिशत)** |
| 1 | रॉ हाइड्स और स्किन्स, सभी प्रकार के (भैंस के अलावा) | 40 | 40 |
| 2 | भैंस का रॉ हाइड और स्किन | 30 | 30 |
| 3 | रॉ फर और चमड़े, लैंब के फर और स्किन सहित | 60/10 | 40 |
| 4 | वेट ब्लू क्रोम लेदर | 40 | 20 |
| 5 | क्रस्ट लेदर | 40 | 20 |
| 6 | टैंड फर स्कीन | 60 | 20 |
| 7 | ई.आई. टैंड लेदर | शून्य | शून्य |
| 8 | फिनिष्ड लेदर (डीजीएफटी द्वारा यथानिर्धारित ) | शून्य | शून्य |

**ङ. कारोबार सुविधा संबंधी उपाय**

|  |
| --- |
| **ङ.1. भारत से निर्यात की गई वस्तु के पुनः आयात करने की अवधि में वृद्धि**  भारत से बाहर वारंटी के अंतर्गत निर्यात की गई वस्तुओं (निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत आने वाले निर्यात को छोड़कर) के निःशुल्क पुनः आयात की समयावधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है जिसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।  **ङ.2.** **भारत में रिपेयर के लिए आयात की गई मूल रूप से विदेशी वस्तुओं के निर्यात की समयावधि में वृद्धि**  वर्तमान में रिपेयर के लिए विदेशी वस्तुओं को भारत में आयात किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें 6 महीने, जिसे बढ़ाकर 1 वर्ष तक किया जा सकता है, के अंतर्गत पुनः निर्यात किया जाए। वैसे वायुयान तथा पोत जिसे एमआरओ के लिए आयात किया जाएगा, के निर्यात की समयावधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, इस अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। |

**च. अन्य**

कुछ अन्य छोटे-मोटे परिवर्तन किए गए हैं। बजट प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा अन्य संगत बजटीय डोक्यूमेंट्स का संदर्भ ले सकते हैं।

|  |
| --- |
| **भाग-ख का अनुबंध**  **प्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन** |
| **(**क) कर राहत प्रदान करना |
| **क.1**  नई कर प्रणाली के अंतर्गत नए कर स्लैब के साथ पर्याप्त राहत का प्रस्ताव किया जाता है, कर की दर निम्नानुसार हैः-   |  |  | | --- | --- | | **कुल आय** | **कर की दर** | | 3,00,000 रू. तक | शून्य | | 3,00,001 रू. से 7,00,000 रू. तक | 5 प्रतिशत | | 7,00,001 रू. से 10,00,000 रू. तक | 10 प्रतिशत | | 10,00,001 रू. से 12,00,000 रू. तक | 15 प्रतिशत | | 12,00,001 रू. से 15,00,000 रू. तक | 20 प्रतिशत | | 15,00,000 रू. से अधिक | 30 प्रतिशत |   क**.2 मानक कटौती**: वेतनभोगियों तथा पेंशनभोगियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली मानक कटौती को 50,000 रू. से बढ़ाकर 75,000 रू. किए जाने का प्रस्ताव है।  क**.3** पारिवारिक पेंशन कटौती: नई कर प्रणाली में पारिवारिक पेंशन से की जाने वाली कटौती को 15,000 रू. बढ़ाकर 25,000 रू. की जाने का प्रस्ताव है।  क**.4** नई पेंशन योजना में गैर-सरकारी नियोक्ता का अंशदान**: धारा 80सीसीडी में उल्लिखित पेंशन योजना में गैर-सरकारी नियोक्ता के संबंध में अनुमत कटौती की राशि को कर्मचारी के वेतन के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नई कर प्रणाली में गैर-सरकारी कर्मचारी को उनके वेतन के 10 प्रतिशत के स्थान पर 14 प्रतिशत तक की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी।** |
| (ख)निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने का उपाय |
| ख**.1** आईएफएससी को प्रोत्साहन   * आईएफएससी में रिटेल स्कीम और एक्सचेंज ट्रेडेट फंड को निर्दिष्ट निधियों के लिए उपलब्ध कर छूट के अनुरूप कर छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। * इसके अलावा आईएफएससी में स्थापित कोर सेटेलमेंट गारंटी फंड की नियत आय को छूट दिये जाने का प्रस्ताव है। * आईएफएससी में स्थापित कुछेक वित्त कंपनियों को धारा 94बी की प्रयोज्यता से बाहर किए जाने का प्रस्ताव है। * यह प्रस्ताव है कि यदि आईएफएससी में स्थापित वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) निर्धारिती को ऋण/अन्य राशि देता है तो उन्हें निधियों के स्रोत के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाएगा। * इसके अलावा यह प्रस्ताव है कि निर्दिष्ट निधियों द्वारा प्रतिभूतियों से प्राप्त आय पर देय आय कर पर अधिभार नहीं लगेगा।   ख**.2** विदेशी कंपनियों की दर को कम करके 35 प्रतिशत करना: विदेशी कंपनी (उन कंपनियों को छोड़कर विशेष दर प्रभारित की जाती है) की आय पर प्रभारित पर आय कर की दर को 40 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।  **ख.3** शेयर प्रीमियम पर कर**: यह प्रस्ताव है कि निजी कंपनियों के शेयर प्रीमियम पर कर से संबंधित** अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (viiख) वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू नहीं होंगे।  ख**.4** अनिवासियों द्वारा परिचालित क्रूज शिप के लिए अनुमानित कराधान योजना **:**  अनिवासी (भारतीयों) के क्रुज जलयान के प्रचालनों के लिए प्रकल्‍पित कराधान व्‍यवस्‍था लागू करने का प्रस्‍ताव है। इसके अलावा, इससे संबंधित किसी ऐसी कंपनी, जो ऐसे जलयान या जलयानों का प्रचालन भारत में करती है, से प्राप्‍त क्रुज जलयानों के पट्टे संबंधी किरायों से किसी भी विदेशी कम्‍पनी को प्राप्‍त किसी भी आय पर छूट प्रदान करने का प्रस्‍ताव है। |
| **(ग) सरलीकरण और युक्‍तीकरण** |
| **ग.1 सर्च एण्‍ड सीजर मामलों के लिए ब्‍लॉक निर्धारण योजना की शुरूआत:** सर्च मामलों के लिए एक नई ब्‍लॉक निर्धारण योजना की शुरूआत करने का प्रस्‍ताव है। यह ब्‍लॉक अवधि पूर्व के छह वर्ष और सर्च की समाप्‍ति की तारीख तक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्‍ताव है। ब्‍लॉक अवधि की कुल आय पर 60 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने का प्रस्‍ताव है।  **ग.2 पुन: निर्धारण किए जा सकने की समय-सीमा कम करना और प्रावधानों का युक्‍तीकरण:** पुन: निर्धारण की समय सीमा को दस वर्षों से कम करके पांच वर्ष करने का प्रस्‍ताव है। इसके अलावा, पुन: निर्धारण की प्रक्रिया का युक्‍तीकरण करने के प्रस्‍ताव हैं। साथ ही, शास्‍ति लगाए जाने की समय-सीमा में स्‍पष्‍टता लाने के लिए धारा 275 में प्रधान मुख्य आयुक्‍त अथवा मुख्‍य आयुक्‍त को संदर्भित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्‍त करने का प्रस्‍ताव है। यह भी प्रस्‍ताव है कि धारा 245 के तहत आकलन के बाद छह दिनों तक रिफंड को रोके रखा जाए और धारा 253 के तहत आईटीएटी के पास अपील दायर किए जाने की समय सीमा का युक्‍तीकरण किया जाए।  **ग.3 धर्मार्थ न्‍यास / संस्‍थाएं:** धर्मार्थ न्‍यासों तथा संस्‍थाओं के लिए छूट की दोनों योजनाओं को आपस में मिला देने और आवेदनों को दाखिल करने तथा पंजीकरण की समय-सीमा के साथ-साथ कतिपय लाभों के लिए अनुमोदन प्राप्‍त करने हेतु संशोधन किए जाने का प्रस्‍ताव है।  **ग.4 पूंजीगत प्राप्‍तियों के कराधान को सरल बनाना :** पूंजीगत प्राप्‍तियों के कराधान का युक्‍तीकरण करने और इसे सरल बनाने का प्रस्‍ताव है।  विशिष्‍ट वित्‍तीय परिसंपत्तियों के मामले में लघु अवधि की प्राप्‍तियों पर अब से 15 प्रतिशत की बजाए 20 प्रतिशत कर दर लगाया जाएगा जबकि अन्‍य सभी वित्‍तीय परिसंपत्तियों और गैर-वित्‍तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर दर लगना जारी रहेगा।  दूसरी ओर, सभी वित्‍तीय परिसंपत्तियों और गैर-वित्‍तीय परिसंपत्तियों के संबंध में दीर्घ अवधि की प्राप्‍तियों पर 12.5 प्रतिशत कर दर लगेगा। निम्‍न और मध्‍यम आय वर्गों के लाभ के लिए, कतिपय सूचीबद्ध वित्‍तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत प्राप्‍तियों की छूट की दर को 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रूपए करने का प्रस्‍ताव किया जा रहा है।  एक वर्ष से अधिक समय के लिए अपने पास रखी गई सूचीबद्ध वित्‍तीय परिसंपत्तियों को दीर्घ आवधिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जबकि गैर-सूचीबद्ध वित्‍तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर-वित्‍तीय परिसंपत्तियों को दीर्घ आवधिक के रूप में वर्गीकृत करवाने के लिए कम से कम दो वर्ष के लिए अपने पास रखना होगा।  हालांकि, गैर-सूचीबद्ध बॉन्‍डों और डिबेंचरों, डेट म्‍यूचुअल फंडों और मार्केट लिंक्‍ड डिबेंचरों के संबंध में होल्‍डिंग अवधि का ध्‍यान किए बिना लागू दरों से पूंजीगत प्राप्‍तियों पर कर लगेगा।  इन प्रस्‍तावों को तत्‍काल प्रभाव से लागू करने का प्रस्‍ताव है।  **ग.5 स्रोत पर कटौती किए गए कर (टीडीएस) की दरों का युक्‍तीकरण :** टीडीएस की दरों को कतिपय धाराओं में 5 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने और धारा 194च, जिसमें टीडीएस दर 20 प्रतिशत है, को समाप्‍त करने का प्रस्‍ताव है, जैसा कि नीचे दिया गया है:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **धारा** | **वर्तमान टीडीएस दर** | **प्रस्तावित टीडीएस दर** | **प्रभावी होने की तारीख** | | धारा 194घ – बीमा कमीशन का भुगतान (कंपनी से भिन्न व्यक्ति के मामले में) | 5% | 2% | 1.4.2025 | | धारा 194घक – जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 | | धारा 194छ – लाटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन इत्यादी | 5% | 2% | 1.10.2024 | | धारा 194ज – कमीशन या दलाली का भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 | | धारा 194झख – व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराए का भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 | | धारा 194ड – कतिपय व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा कतिपय राशि का भुगतान | 5% | 2% | 1.10.2024 | | धारा 194ण – ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ई-कॉमर्श पार्टिसिपेंट को कतिपय राशि का भुगतान | 1% | 0.1% | 1.10.2024 | | म्युचुअल फण्ड या यूनिटट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद के कारण भुगतानों से संबंधित धारा 194च | विलोप किए जाने का प्रस्ताव है | | 1.10.2024 |   **ग.6** टीडीसी और टीसीएस का क्रेडिट: **धारा 192 के अधीन वेतन आय पर काटे जाने वाले कर की राशि की गणना करते समय सभी कर कटौतियों या संग्रहित करों के क्रेडिट की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।**  **ग.7** अवस्यक के टीसीएस का क्रेडिट उसके माता-पिता को**:** बोर्ड को यह अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है कि वे जिस व्यक्ति से कर संग्रहित किया जाता है उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को संग्रहित कर के क्रेडिट के लिए नियम बना सकते हैं।  **ग.8** टीसीएस पर देरी से भुगतान पर ब्याज दर का टीडीएस के साथ अनुरूपण: टीडीएस के मामले की तरह संग्रहण के बाद टीसीएस के देरी से भुगतान पर 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव है।  **ग.9** कटौती के रूप में फर्म के कार्यकारी साझेदारों को पारिश्रमिक की सीमा**: बही-लाभ के पहले 6,00,000 रुपए पर या हानि के मामले में कार्यकारी साझेदारों के पारिश्रमिक की सीमा बढ़ाकर 3,00,000 रुपए या बही-लाभ के 90 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, करने का प्रस्ताव है।** |
| (घ) कर आधार को बढ़ाना और कर चोरी विरोधी उपाय |
| **घ.1** कंपनी द्वारा शेयरों की वापस खरीद**:** कंपनियों द्वारा शेयर वापस खरीदे जाने से होने वाली आय को कंपनी के लिए अतिरिक्त आय की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर इस आय को लाभांश के रूप में निवेशक के लिए कर योग्य आय बनाए जाने का प्रस्ताव है।  **घ.2** प्रतिपूर्ति लेनदेन कर (एसटीटी) दरें**: प्रतिभूतियों में ऑप्शन की बिक्री पर एसटीटी की दरें ऑप्शन प्रीमियम के 0.0625 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत दिए जाने का प्रस्ताव है और प्रतिभूतियों में फ्यूचर की बिक्री पर उस कीमत के 0.0125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है, जिस कीमत पर ऐसे फ्यूचर का व्यापार हुआ है।**  **घ.3 घर संपति को किराए पर देने से होने वाली आयः** यह प्रस्ताव किया जाता है कि मालिक द्वारा घर अथवा घर के भाग को किराए पर देने से होने वाली आय को “पेशेवर व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों” के शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित नहीं किया जाएगा और यह ‘गृह संपति से आय’ के कर के अंतर्गत ही प्रभारित होगी।  **घ.4 पूंजीगत आस्ति का अंतरणः** यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दु परिवार (एचयूएफ) को छोड़कर, एक संस्था द्वारा उपहार अथवा वसीयत अथवा अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन पूंजीगत आस्ति के अंतरण पूंजीगत प्राप्ति की गणना के प्रयोजन हेतु अंतरण माने जाएंगे।  **घ.5 भागीदार को भुगतान पर टीडीएसः** यह प्रस्ताव किया जाता है कि फर्म द्वारा अपने भागीदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस और ब्याज आदि के रूप में किए गये भुगतान पर वित्त वर्ष में 20,000 रू. से अधिक कुल राशि के लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगेगा।  **घ.6 अधिसूचित लग्जरी वस्तुओं पर टीसीएसः** लग्जरी वस्तुओं पर टीसीएस लगाने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि दस लाख से अधिक मूल्य की अधिसूचित वस्तुओं पर 1 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा।  **घ.7 स्थावर संपदा के विक्रय पर टीडीएसः** यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी स्थावर संपदा के संबंध में एक से अधिक अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती हैं, वहां स्थावर संपति के अंतरण के लिए ऐसा प्रतिफल ऐसी स्थावर संपति के हस्तारण हेतु सभी अंतरितियों द्वारा अंतरणकर्ता अथवा सभी अंतरणकर्ताओं को भुगतान की गई अथवा की जाने वाली राशियों के बराबर होगा।  **घ.8 अस्थायी दर बचत (कर योग्य) बॉन्ड्स (एफआरएसबी) 2020 पर टीडीएसः** अस्थायी दर बचत (कर योग्य) बॉन्ड्स (एफआरएसबी) 2020 अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों की किसी अन्य अधिसूचित प्रतिभूति पर दस हजार रूपए से अधिक के ब्याज पर टीडीएस का प्रस्ताव किया जाता है।  **घ.9 जीवन बीमा कंपनियों द्वारा गैर-व्यवसाय व्यय की अग्राह्यताः** ऐसा प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी व्यवसाय के लाभ और प्राप्तियों की गणना में धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार ग्राह्य नहीं होने वाले किसी व्यय को जीवन बीमा व्यवसाय के लाभों और प्राप्तियों में फिर से शामिल किया जाएगा।  **घ.10 कुल आय की गणना करने के प्रयोजनार्थ भारत से बाहर रोके गए करों को शामिल करनाः** यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है कि कटौती के माध्यम से भारत से बाहर भुगतान किए गए आयकर निर्धारती की आय की गणना के प्रयोजन हेतु प्राप्त की गई आय मानी जाएगी।  **घ.11 धारा 194ग के लागू होने से धारा 194ञ में उल्लिखित आय को बाहर रखनाः** यह प्रस्ताव है कि स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि धारा 194ञ [व्यावसायिकों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस] की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई रकम धारा 194ग (कान्ट्रेक्टर्स को भुगतान) के तहत टीडीएस के प्रयोजन हेतु “कार्य” का गठन नहीं करती है।  **घ.12 निपटारा राशि का व्यावसाय व्यय के रूप में दावाः** केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित विधि के किसी उल्लंघन हेतु निपटारा फीस के रूप में खर्च को नामंजूर करने का प्रस्ताव किया जाता है।  **घ.13 उचित बाजार मूल्य की (एफएमवी) परिभाषाः** प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में विक्रय के लिए प्रस्ताव में गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर की बिक्री के मामले में धारा 55(2)(कग) के तहत 31.01.18 को उचित बाजार मूल्य की गणना की पद्धति का प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है। |
| (ङ) कर प्रशासन |
| **ङ.1 विवाद से विश्वास स्कीम, 2024 की शुरूआत**: लंबित अपीलों के समाधान के लिए एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। इसे एक विनिर्दिष्ट तारीख से लागू करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम की अंतिम तारीख भी अधिसूचित करने का प्रस्ताव है।  ङ**.2** समकारी लेवी: माल अथवा सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति के लिए प्राप्त प्रतिफल के 2 प्रतिशत की दर पर समकारी लेवी 01 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात लागू नहीं रखने का प्रस्ताव है।  ङ.**3** **काला धन अधिनियम के तहत छोटी विदेशी आस्तियों की सूचना नहीं देने पर शास्ति का प्रावधान है। 20 लाख रुपए तक की ऐसी चल आस्तियों की सूचना नहीं देने को गैर-दांडिक करने का प्रस्ताव है।**  ङ.**4** **स्रोत पर काटे गए कर (टीडीएस) के विलंब से भुगतान को गैर-दांडिक करने का प्रस्ताव है, यदि टीडीएस विवरण दायर करने के लिए निर्धारित समय से पहले भुगतान कर दिया जाता है।**  ङ.**5** **यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति से कर की कटौती/वसूली में विफल रहने का कोई आदेश जिस वित्त वर्ष में भुगतान किया गया है उस वित्त वर्ष के समाप्त होने से छह वर्ष का समय बीतने के बाद नहीं किया जाएगा।**  ङ**.6** कटौतीकर्ता द्वारा दायर विवरणों के अलावा अन्य विवरणों को संसाधित करने को संक्षम करना: यह प्रस्ताव है कि बोर्ड ऐसे विवरणों को संसाधित करने के लिए योजना तैयार कर सकता है।  ङ.**7** स्रोत पर कर की कम कटौती/वसूली का प्रमाण पत्र**:** धारा 194थ (माल की खरीद के लिए भुगतान पर टीडीएस) और धारा 206ग की उपधारा (1ज) (माल की बिक्री की प्राप्ति पर कर) के लिए कर की कम कटौती/वसूली के लिए आवेदन हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव है।  ङ**.8** कतिपय व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों को टीसीएस से छूट प्राप्त के रूप में अधिसूचना**:** सरकार को यह शक्ति देने का प्रस्ताव है कि वह ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों को अधिसूचित कर सकती है जिनसे किसी विनिर्दिष्ट लेन-देन के संबंध में किसी कर की वसूली नहीं की जाएगी अथवा कम दर पर कर की वसूली की जाएगी।  ङ**.9** टीडीएस/टीसीएस विवरणों के लिए सुधार विवरण दायर करने की समय-सीमा**:** यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि जिस वित्त वर्ष में क्रमशः टीडीएस/टीसीएस विवरण भी जमा करना अपेक्षित है उस वित्त वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष के समाप्त होने के बाद कोई सुधारात्मक विवरण जमा नहीं किया जाएगा।  ङ**.10** विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति: 12 महीने की वर्तमान अवधि के स्थान पर एक महीना के बाद टीडीएस अथवा टीसीएस को देर से प्रस्तुत पर शास्ति का व्रावधान करने का प्रस्ताव है।  ङ**.11 वह अवधि विहित करने का प्रस्ताव है जिसके भीतर किसी संपर्क कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विहित अवधि के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफलता के लिए शास्ति का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है।**  ङ.**12** **अंतरण मूल्य अधिकारी उन विशिष्ट घरेलू लेन-देनों पर कार्रवाई करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे संदर्भित नहीं किए गए हैं।**  ङ.**13** **आधार संख्या के स्थान पर आधार नामांकन पहचान संख्या दर्ज करने की व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव है।**  ङ.**14** **यह प्रस्ताव है कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण से अंतरित आवेदनों को अग्रिम निर्णय बोर्ड के समक्ष दिनांक 31.10.2024 से पहले वापस लेने की अनुमति दी जाए।**  ङ.**15** **यह प्रस्ताव है कि आयुक्त (अपील) को एक-पक्षीय निर्धारण आदेश निरस्त करने का अधिकार दिया जाए।**  ङ**.16** धारा 271चकक में संशोधन: सूचना के स्वचालित आदान प्रदान (एईओओ) के अनुपालन संबंधी सम्यक तत्परता आदेश का अनुपालन करने में विफल होने पर शास्ति का प्रावधान लाने के लिए धारा 271चकक में संशोधन का प्रस्ताव है।  ङ**.17** कर अनापत्ति प्रमाण पत्र: यह प्रस्ताव रखा गया है कि कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से काला धन अधिनियम, 2015 का संदर्भ शामिल किया जाए।  ङ**.18** विलम्ब की माफी के पश्चात विवरण दर्ज करना: यह प्रस्ताव रखा गया है कि विलंब की माफी के पश्चात विवरण दर्ज करने के संबंध में, उस वित्त वर्ष की समाप्ति, जिसमें विवरण प्रस्तुत किया गया था, के 12 महीने के भीतर निर्धारण किया जा सकता है।  ङ**.19** राष्ट्रीय खेल विकास निधि में दान**:** केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल निधि को दान में दी गई कोई भी राशि, वर्तमान में धारा 80छ के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं। इस निधि के नाम को राष्ट्रीय खेल विकास निधि के रूप में संशोधित करने का प्रस्ताव है।  ङ**.20 राष्ट्रीय आवासन बोर्ड के संदर्भ को हटाना:** चूंकि आवासन वित्त कंपनियां अब कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) की श्रेणी में, भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे के अंतर्गत आती हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 43घ में राष्ट्रीय आवासन बोर्ड के संदर्भ को हटाने का प्रस्ताव है।  ङ**.21** काला धन अधिनियम, 2015 में जब्त आस्तियों के विरूद्ध देयता का समावेशन**:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132ख में काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों) तथा कर आरोपण अधिनियम, 2015 के संदर्भ में, अतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि जब्त आस्तियों से अधिनियम के अंतर्गत देयता की वसूली की जा सके।  ङ**.22** बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिरोध अधिनियम, 1988 में संशोधन: यह प्रस्ताव किया गया है कि बेनामीदार द्वारा पूर्ण और सत्य प्रकट करने पर शास्ति और अभियोजन से छूट दी जाए। संपत्ति की कुर्की और अधिनिर्णय प्राधिकारी को संदर्भित करने की समय सीमा को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है। |